न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 169/2020 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2020/00177

बृजलाल पुत्र स्व. लिच्छीराम उर्फ लघूराम (लछूराम) जाति बैरागी निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज।

—— अपीलान्ट

बनाम

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़।

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
श्री सुभाष साहू — अभिभाषक रेस्पोडेंट्स सं. 1

निर्णय

दिनांक 31.10.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1— वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 463/2 तादादी 25 बीघा रकबा का तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 08.08.1975 को अराजीकाश्त किया गया, जिस पर अपीलांट एवं उनके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादगत भूमि के संबंध में तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपीलांट के पिता के उक्त टी.सी आवंटित भूमि को रकबाराज मानते हुए इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 से व्यथित होकर अपीलांट के पिता श्री लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम पुत्र बेगदास ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की। उक्त अपील पर निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 19.08.2020 को कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 463/2 तादादी 25 बीघा भूमि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की हद तक अपील को खारिज कर, तहसीलदार सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 को विधि सम्मत मानते हुए हस्तक्षेप नही किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश वैद ने बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 463/2 तादादी 25 बीघा को किसी सक्षम अधिकारी के आवंटन आदेश के बिना ही अराजीराज होने के कारण तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 को दर्ज कर कानूनी गलती की है। तत्कालीन अपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ ने दिनांक 08.08.1975 को अराजीकाश्त पर आवंटन कर मौके पर कब्जा सौप दिया था, तब से आज दिनांक तक उक्त विवादित भूमि लिच्छुराम के जीवनपर्यन्त उनके व उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विपरित हैं। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट उक्त भूमि का गैरखातेदार काश्तकार श्रेणी का हो गया, जिसे इन्ही नियमों के तहत स्वतः खातेदारी अधिकार नियमानुसार प्राप्त होने थे। इसी क्रम में ऐसे टीसी आंवटन धारकों के उत्तराधिकारियों को भी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ/41/5/8/राजस्व/2001/6513 दिनांक 22.10.2001 के द्वारा अपीलांट को वैधानिक अधिकार प्रदान करते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 19.08.2020 को निरस्त कर जैर अपील रकबे की हद तक इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 निरस्त किया जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री सुभाष सहू ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 उभय पक्ष को सुनकर नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने नामान्तरण समस्त वैद्य प्रक्रिया अपनाकर ही किया था। तहसीलदार सूरतगढ़ के नामान्तरण संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.08.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील बिना किसी आधार के पेश की है। अतः अपील अपीलांट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 463/02 की 25 बीघा अपीलांट के पिता लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम पुत्र बेगदास के नाम टीसी आवंटीत भूमि है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक स्था./2022/446 दिनांक 18.10.2022 द्वारा यह स्पष्ट किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 463/2 की 25 बीघा बारानी भूमि लिच्छीराम उर्फ लच्छुराम पुत्र बेगदास के नाम टीसी आवंटन होने के बाद से अपीलांट के पिता के कब्जा काश्त रही है। अपीलांट के पिता के फौत होने के बाद अपीलांट के कब्जा काश्त रही है। तत्पश्चात उक्त रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ।

उपरोक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 19.08.2020 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.08.2020 एवं तहसीलदार सूरतगढ़ के इंतकाल संख्या 460 दिनांक 03.11.2011 को निरस्त कर अपील अपीलांट तहसीलदार सूरतगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर